

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर

अधिसूचना संख्या 68/2018- राज्य कर

अटल नगर रायपुर, दिनांक : 31.12.2018

क्रमांक एफ-10-65/2018/वाक/पांच(116) – आयुक्त, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर -

- (i) राज्य कर आयुक्त, छत्तीसगढ़ की अधिसूचना क्रमांक - 03, दिनांक 8 अगस्त, 2017 में; और
- (ii) राज्य कर आयुक्त, छत्तीसगढ़ की अधिसूचना क्रमांक/सीजीएसटी/01/2017(16), दिनांक 15 नवम्बर, 2017 में,

में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचनाओं के पहले पैरा के परंतुक में “जुलाई, 2017 से नवंबर, 2018” और “31 दिसंबर, 2018” शब्दों, अंकों के स्थान पर क्रमशः “जुलाई, 2017 से फरवरी, 2019” और “31 मार्च, 2019” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,



(संगीता पी.)

राज्य कर आयुक्त


एवं विशेष सचिव

अटल नगर रायपुर, दिनांक : 31.12.2018

क्रमांक एफ-10-65/2018/वाक/पांच - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -10-65/2018/वाक/पांच(116), दिनांक 31.12.2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,



(संगीता पी.)

राज्य कर आयुक्त

एवं विशेष सचिव